

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न:0141-2228061-62, फैक्स न:0141-2228065

मेल :rmisc.supply1@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : http://rmisc.health.rajasthan.gov.in

वर्ष 2025-27 में औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह
(Inter DDW/MCDW) एवं राज्य से बाहर परिवहन कार्य के लिए अल्पकालीन ई-निविदा

निविदा क्रमांक :	एफ.30/आरएमएससी/वित्त/अन्तरDDWपरिवहन/2025-26/1799 दिनांक: 21/08/2025
निविदा प्रपत्र डाउनलोड प्रारंभ की तिथि	दिनांक 21.08.2025 सांय 4.00 बजे से
प्रि-बिड दिनांक, समय व स्थान:	दिनांक 27.08.2025 समय प्रातः 11.30 बजे स्थान कमरा संख्या-205 गाँधी-ब्लॉक, आरएमएससी भवन, स्वास्थ्य भवन परिसर, जयपुर (राज.)
ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय :	दिनांक 03.09.2025 सांय 6.00 बजे तक
तकनीकी निविदा के दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की तिथि एवं समय :	दिनांक 04.09.2025 समय सांय 02.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि एवं समय :	दिनांक 04.09.2025 समय सांय 05.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क	रु. 2360.00 (2000+ 18% GST) डी.डी/बीसी जो कि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के पक्ष में देय हो
RISL प्रोसेसिंग शुल्क:	रु. 2360.00 (2000+ 18% GST) डी.डी/बीसी जो कि प्रबन्ध निदेशक, आर. आई.एस.एल., जयपुर के पक्ष में देय
बोली प्रतिभूति राशि	रु. 6.00 लाख (अनुमानित व्यय का 2 प्रतिशत) डी.डी/बैंकर चैक जो कि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के पक्ष में देय हो

कार्यकारी निदेशक (वित्त)

आरएमएससी

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance

Date: 2025.08.21 13:57:22 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17299387

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

राजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न:0141-2228061-62, फैक्स न:0141-2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067

मेल :rmisc.supply1@gmail.com
Website : http://rmisc.health.rajasthan.gov.in

औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह(Inter DDW/MCDW)एवं राज्य से बाहर परिवहन कार्य हेतु दर-संविदा की शर्तें

निविदादाता को अल्पकालीन खुली निविदा में अपनी दरें अंकित करते समय इन शर्तों को बहुत सावधानी पूर्व पढ़ना चाहिए।

यदि किसी शर्त के बारे में कोई संदेह हो तो अपनी निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिए। निविदा के निगम में प्राप्त हो जाने के बाद किसी भी शर्त के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी का निर्णय अंतिम होगा तथा वह निविदादाता को मान्य होगा।

1. निविदा (Two Bid) कार्य के विवरणानुसार प्रस्तुत करनी होगी।
2. निविदा, निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से ऑनलाईन ई-पोर्टल <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
3. प्री-बिड मीटिंग दिनांक 27.08.2025 समय प्रातः 11.30 बजे के पश्चात उसी दिन सांय 5.00 बजे तक ही फर्मों से अभ्यावेदन स्वीकार किये जाएंगे। उक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्रेषित अभ्यावेदनों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदाएँ दोहरी निविदा पद्धति के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी। तकनीकी निविदा के साथ टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस, डीडी/बैंकर चैक व बोली प्रतिभूति (bid security) तथा वांछित तकनीकी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। वित्तीय निविदा BOQ में प्रेषित की जाएगी। डीडी/बैंकर चैक/घोषणा पत्र के अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी तथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। जो भी नये जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह अस्तित्व में आते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से सम्मिलित किया जायेगा।
5. कॉलड चैन आईटम्स सामान्यतया कार्य दिवस में ही भेजे एवं प्राप्त किये जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में अवकाश के दिवस भी आईटम भेजे जाने हेतु आदेश दिये जा सकते हैं। इस हेतु अवकाश के दिन संबंधित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह एवं निगम मुख्यालय से सामन्जस्य स्थापित कर कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी।
6. निविदा दाता फर्म का विगत तीन वर्षों का न्यूनतम वार्षिक औसत टर्नओवर 1.50 करोड होना चाहिए, एवं विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्नओवर निर्धारित प्रारूप में सीए द्वारा प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
7. दरों की इकाइयों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
8. निविदा पंजीकृत फर्म, कम्पनी, संस्था/सोसायटी जो कि कार्गो एवं कोरियर सेवा प्रदान करने का कार्य करती हो, द्वारा ही दी जानी चाहिए। इस तथ्य का प्रामाणिक अभिलेख (गत तीन वर्षों में कोरियर एण्ड कार्गो कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यदेश की प्रति संलग्न) निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निविदाकार के पास स्वयं के ट्रक अथवा फर्म के नाम से पंजीकृत एवं कोरियर सेवा की उचित व्यवस्था हो।
9. निविदा किसी साझेदारी फर्म द्वारा प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार फर्म की ओर से किसी एक साझेदार को अधिकृत किए जाने की स्थिति में प्रत्येक साझेदार फर्म की

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

- आवश्यक है। निविदा स्वीकृति के बाद फर्म के संविधान में कोई परिवर्तन फर्म के पूर्व के सदस्यों/साझेदारों के इस अनुबंध के उत्तरदायित्वों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा। इसी प्रकार जब तक इस अनुबंध के वहन को नया साझेदार स्वीकार नहीं करे तब तक फर्म में कोई नया साझेदार सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
10. निविदाकार कम्पनी/सोसायटी होने पर अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही निविदा भरी जाएगी। प्राधिकृत प्रतिनिधि की अधिकृति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
 11. तकनीकी निविदा खोले जाने से 90 दिवस तक वैध रहेगी।
 12. निविदादाता अपनी निविदा या उसके किसी सारभूत भाग को अधिकृत जिला मुख्यालयों स्थित प्रतिनिधि फर्मों के अतिरिक्त न तो किसी अन्य एजेंसी को सौंप सकेगा और ना ही किसी को आगे किसी को सबलेट करेगा।
 13. दरें अनुमोदन की तिथि **Agreement** जारी किये जाने की दिनांक से 24 माह (दो वर्ष) के लिए मान्य होगी। ये दरें एफ.ओ.आर. राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (Inter DDW/MCDW) एवं राज्य से बाहर के लिए होगी। दरों में लोडिंग/अनलोडिंग चार्ज, स्थानीय एवं गन्तव्य स्थान का स्थानीय भाड़ा, ठेला भाड़ा, सरचार्ज एवं अन्य समस्त व्यय यथा टोल टैक्स, बीमा आदि कोई हो, सभी सम्मिलित करके दरें दी जाएँ। प्रस्तुत दर पर देय जीएसटी पृथक से दर्शानी होगी। परिवहन कार्य में काम आने वाली समस्त पैकिंग सामग्री सम्बन्धित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) द्वारा दी जाएगी। निविदा में वर्णित दरों के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा।
 14. निविदा में दर्शायी गई कार्य की अनुमानित राशि सांकेतिक है। कार्यादेश आवश्यकतानुसार ही जारी किए जा सकेंगे।
 15. भेजा जाने वाला सामान अर्थात् औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के सुरक्षित एवं सही मात्रा में बताए गए अथवा निर्देशित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) पर कॉल्ड चैन 24 घण्टे में एवं नॉन कॉल्ड चैन औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स के कार्टून 48 घण्टे में अनिवार्य रूप से पहुंचाने होंगे। कॉल्ड चैन आईटम की पैकिंग पर "COLD CHAIN ITEM" लिखते हुए कार्गो एवं कोरियर सेवा प्रदाता फर्म के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया जावेगा। सामग्री पहुँच का प्रमाण/रसीद (Proof of delivery) प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी को प्रस्तुत करनी होगी। समस्त सामान निविदाकार को फर्म के पंजीकृत ट्रकों/वाहनों/कोरियर सेवा से ही भेजना होगा।
 16. कॉल्ड चैन आईटम से अभिप्राय, ऐसी औषधियों/सर्जिकल्स एवं सूचर्स से है जिनका निर्धारित तापमान स्थिर रखते हुए सुपुर्दगी के 24 घण्टे की अवधि में गन्तव्य स्थान पर पहुंचाना आवश्यक है। कॉल्ड चैन आईटम्स की स्थिति में निर्धारित 24 घण्टे की अवधि में आदेशित मात्रा/आईटम्स गन्तव्य तक नहीं पहुंचाने की स्थिति में नियमानुसार आईटम की 100 प्रतिशत राशि (क्रय मूल्य) की वसूली की जाएगी।
 17. निविदादाता को Drug manufacture/Direct importer के साथ यदि कॉल्ड चैन का परिवहन (अंतर जिला/राज्य) का कार्य किया गया हो तो इसके संबंध में साक्ष्य स्वरूप ठोस प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट आदि) प्रस्तुत करे।
 18. नॉन-कॉल्ड चैन की स्थिति में यदि परिसमापन क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किए गए कार्यों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के दंड पर वसूली की जाएगी:-
(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के

Signature valid

Digitally signed by **Raj Sood**
Designation: **Executive Director**
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0%
 (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5%
 (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

टिप्पणी :-

- विलम्ब की अवधि आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
 - स्वीकार की गई निर्धारित परिसमापित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
 - यदि परिवहनकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत परिवहन को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को आवेदन करेगा, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
- संबंधित कार्यालय जहाँ माल पहुँचाना है, वहाँ से माल प्राप्ति की रसीद (**Proof of delivery**) प्रभारी अधिकारी/मनोनीत सक्षम अधिकारी से मय प्राप्ति मुहर एवं दिनांक के प्राप्त होने के उपरान्त ही निगम द्वारा भुगतान किया जाएगा अथवा नये औषधि सॉफ्टवेयर पार्ट-II (**Upgraded**) में Transporter Module के पूर्ण रूप से डवलप होने के उपरांत समस्त निर्धारित प्रविष्टियों की ऑनलाइन प्रविष्टि/पुष्टि उपरान्त भुगतान किया जावेगा। साथ ही प्रत्येक माह बिल के साथ संलग्न अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। (प्रपत्र 'र')
 - सामान निगम के जिला मुख्यालयों पर स्थित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) से उठाना होगा। औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि भेजने वाले जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) के भण्डारपाल/प्रभारी अधिकारी, के आदेश देने के 24 घण्टे के अन्दर उठानी होगी एवं प्रमाण (**Proof of receipt**) भी प्रस्तुत करना होगा। निगम के जिला मुख्यालयों स्थित जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृहों (DDW/MCDW) का विस्तृत विवरण मय प्रभारी अधिकारी एवं दूरभाष प्रपत्र 'व' के अनुसार है। समस्त सामान निविदादाता की जोखिम पर भेजा जाएगा। गन्तव्य स्थान पर यदि सामान कम पहुँचता है या बिल्कुल नहीं पहुँचता है, टूट फूट के साथ पहुँचता है अथवा कॉल्ड चैन/नॉन कॉल्ड चैन ब्रेक होती है, तो ऐसे सामान की पूर्ण कीमत निविदादाता से वसूल की जाएगी। औषधियाँ एवं अन्य ऐसी सामग्री जिसके अवधि पार होने की संभावना रहती है, आदेशित अवधि में ही पहुँचानी होगी अन्यथा देरी के मामलों में निविदाकार फर्म से सामग्री की लागत की पूर्ण वसूली की जाएगी।
 - यदि औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि को परिवहन में खराब कर दिया गया, पानी में भीगने दिया या पैकिंग तोड़ दी गई अथवा कॉल्ड चैन ब्रेक की गई, ऐसी परिस्थितियों में नुकसान हुआ तो पूर्ण हर्जाना/कीमत निविदादाता से वसूल किया जाएगा।
 - सामान के जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (DDW/MCDW) में सम्भलाने के पश्चात् गन्तव्य स्थान तक रास्ते में किसी भी प्रकार की हानि के लिए परिवहनकर्ता/सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी एवं क्षति की स्थिति में सामान की राशि परिवहनकर्ता से वसूली योग्य होगी।
 - निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह में नियमानुसार देय 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) बैकर्स चेक/डी0डी0 के रूप में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के नाम से जमा करवाकर राशि रु. 500/- के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध करना होगा। अनुबंध हेतु स्टाम्प पेपर का व्यय, सफल निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा। यदि निविदाकार कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) राशि जमा कराने या निविदाकार द्वारा अनुबंध निर्धारित करने में विफल रहता है तो उसको शर्तों का भंग माना जाएगा तथा बोली प्रतिभूति (bid security) जब्त कर ली जाएगी। चूंकि निगम का कीमती सामान अर्थात् औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन हेतु निविदादाता को संभलाया जाता है अतः निविदादाता को निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
 Designation: Executive Director

Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
 Reason: Approved

24. निगम के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
25. निविदाकार अपने कार्यालय/निवास का पूर्ण पता अंकित करेगा जहाँ उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके। यदि कार्य स्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम, पूर्ण पता सूचित करेगा जो कार्य स्थल पर उपस्थित रहेगा ताकि जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
26. यदि निविदाकार कार्य के किसी भाग को निर्धारित समयावधि में सम्पन्न नहीं करता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वे निविदाकार को कोई सूचना दिए बिना उसकी जोखिम (Risk and cost) पर कार्य सम्पन्न कराएँ। निविदाकार इसके परिणामस्वरूप निगम द्वारा किए गए जाने वाले समस्त खर्चे एवं निगम की हानि की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकार के हर्जे खर्चे एवं जोखिम पर कार्य कराते समय निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार निर्णय लेगा।
27. अनुबन्ध की शर्तों के अन्तर्गत निविदाकार से जो भी वसूली बनती है उसकी भरपाई यदि एक माह में नहीं की जाती है तो ऐसी वसूली निविदाकार द्वारा जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) में से तुरन्त कर ली जाएगी। यदि इस प्रकार वसूली पूरी तरह सम्भव नहीं हो तो राजस्थान लोकमान अधिनियम (वसूली) 1952 के अधीन या तत्समय प्रचलित किसी भी विधि के अधीन की जाएगी।
28. निविदाकार को देय भुगतान में से नियमानुसार आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्समय निर्धारित दर से स्रोत कर के रूप में निगम द्वारा आयकर की कटौती की जाकर भुगतान किया जाएगा। निविदादाता के आवेदन पर निगम द्वारा नियमानुसार आयकर कटौती का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
29. किसी भी कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किए जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर (राजस्थान) स्थित न्यायालयों में ही की जानी होगी अन्य स्थान पर नहीं।
30. दर संविदा की समयावधि सहमति अनुसार 03(तीन) माह तक बढ़ाई जा सकेगी।
31. उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा जो शर्तें उक्त शर्तों में सम्मिलित होने से रह गई हैं वे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी।
32. यदि उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाना पाया गया तो बिना पूर्व सूचना दिए संविदा को निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त कर ली जाएगी।
33. अन्य किसी विवाद की स्थिति में उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 68 में उल्लेखित शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार एवं समय-समय पर प्रचलित नियम एवं शर्तें मान्य होगी।
34. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार —बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्:—
 - (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा;
 - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा; और
 - (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम जब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड(क) और (ख) के अध्याधीन रहते हुए अंकों में व्यक्त रकम प्रभावी होगी।
34. सत्यनिष्ठा संहिता —उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति

Signature valid

Digitally signed by RajKaj Ref No. 17299387
 Designation: Executive Director
 Finance
 Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
 Reason: Approved

- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
- (ख) सूचना का ऐसा दुर्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

35. हित का विरोध –

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु उन तक सीमित नहीं हैं:—
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप और सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्यवाहियों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं:—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

Signature valid

Digitally signed by Raj Kaj
Designation: Executive Director-
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है:-
 (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
 (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के माफत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
 (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदा कारको एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषय वस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और ना ही संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

35. उपापन प्रक्रिया के दौरान अपीलों/शिकायतों का निस्तारण -प्रथम अपील प्राधिकारी मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एवं अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अधधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिवस की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘श’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उपापन संस्था के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधि समाप्त होगी कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और उपबंधों के अधीन उपापन के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों के

Signature valid

Digitally signed by RajKaj Ref No. 17299387
 Designation: Executive Director
 Finance

Date: 2025.08.21 13:57:22 IST

Reason: Approved

निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जायेगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्रारूप—(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र-श) में उतरे प्रावधानों के अनुसार दाखिल की जाएगी।

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

प्रत्यर्थी हैं।

- (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।
2. अपील फाइल करने के लिए फीस— (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रति देय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया —(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,—
- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
- (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उपनियम(3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
37. विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी का निर्णय अन्तिम होगा व निविदादाता को मान्य होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17299387

प्रपत्र-“अ”
दर-संविदा के लिए अल्पकालीन खुली निविदा आवेदन प्रपत्र

तकनीकी बिड

1. प्राधिकारी जिसे निविदा (Two Bid) प्रस्तुत की जा रही है:- प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर
2. निविदा क्रमांक 1799 दिनांक 21/08/25
3. औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के अन्तर जिला/मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (Inter DDW/MCDW) एवं राज्य से बाहर परिवहन कार्य के लिए निविदा
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाइन, मोबाईल व मेल सहित
5. फर्म का पेन एवं जी.एस.टी. नम्बर
6. अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर
7. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रु. 2360/- (18 प्रतिशत जीएसटी सहित) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या..... दिनांक....., RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION LTD. के पक्ष में देय संलग्न है।
8. निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा मार्च, अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई 2025 तक जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति (Form 3B) संलग्न है। (नोट- बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निविदा स्वीकार्य नहीं होगी)।
9. टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न है (प्रपत्र 'ब')।
10. निविदादाता द्वारा घोषणा प्रपत्र-“स” संलग्न हैं।
11. पेन कार्ड की प्रतिसंलग्न है।
12. मेरी/हमारी फर्म पंजीकृत कोरियर एण्ड कार्गो सेवा प्रदाता है।
13. पूर्व में कोरियर एण्ड कार्गो सेवा कार्य के लिए मुझे/हमें किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है (प्रपत्र 'द')
14. अण्डरटेकिंग प्रपत्र “र” संलग्न हैं।
15. कोरियर एण्ड कार्गो हेतु जिला मुख्यालय पर संस्था अथवा सेवा प्रदाता के पास जिलेवार उपलब्ध वाहनों का विवरण मय सम्पर्क सूत्र का नाम, कार्यालय का पता एवं दूरभाष व मोबाइल नम्बर आदि सामान्य सूचनाएँ (प्रपत्र 'य') संलग्न है।
16. मैं/हम, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या..... दिनांकमें वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर मय मोहर कर दिए हैं)।
17. निविदा के साथ गत तीन वर्षों में कोरियर एण्ड कार्गो कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश की प्रति संलग्न है। राज्य/भारत सरकार की ओर से अधिकृत फर्म (Drug manufacturer/ Drug Importer) के साथ या राज्य/भारत सरकार के विभाग/उपक्रमों में औषधि (Cold Chain) परिवहन कार्य का गत तीन वर्षों में किये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है।

Signature valid

Digitally signed by राजेंद्र सोहन
Designation: निदेशक, आरएमएससी, जयपुर
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लि.

BOQ Formet

परिवहन कार्य के लिए अल्पकालीन निविदा की दरों का फोरमेट

कोल्ड एवं नोन-कोल्ड आईटम की दर (Except Same City) / (For Noida/UP/Kasholis)

/ (For Same City)

क्र.सं.	बॉक्स का वजन	बैसिक दर राशि रु.	GST (SGST /CGST) % राशि रु	कुल दर (GST सहित)
1	1 से 5 किलो	Rate Fill in BOQ		
2	5 से 10 किलो			
3	10 से 15 किलो			
4	15 से 20 किलो			
5	20 से 25 किलो			
6	25 किलो से उपर			

निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17299387

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्मका विगत तीन वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की सत्यापित Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹ लाखों में)
1	2022-23 या 2021-22	
2	2023-24 या 2022-23	
3	2024-25 या 2023-24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या
UDIN No- -----

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिस परिवहन कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड पंजीकृत पंजीकृत सोसायटी/पंजीकृत कार्गो एवं कोरियर सेवा प्रदाता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने कार्गो एवं कोरियर सेवा का कार्य जहाँ कहीं भी किया है, उस कार्य में विगत 3 वर्षों में कार्य समय पर पूर्ण न होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारा किसी भी न्यायालय में परिवहन कार्य के सन्दर्भ में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन
निविदादाता के सम्बन्ध में सामान्य सूचनाएँ

श्रेणी जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है—

1.	निविदादाता फर्म/कम्पनी का नाम	
2.	कार्यालय का पता मेल वेबसाइट	
3.	अधिकृत व्यक्ति का नाम पद मोबाईल नम्बर दूरभाष नम्बर फैक्स मेल	
4.	फर्म पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	
5.	PAN नम्बर	
6.	GST नम्बर	
7.	नियम/अधिनियम जिसके तहत पंजीकृत है	
8.	प्रकार (लिमिटेड, प्राईवेट लिमिटेड, साझेदारी फर्म, प्रोपराईटरी फर्म आदि)	
9.	टर्न ओवर (राशि लाखों में) वित्तीय वर्ष 2022-23 या 2021-22 वित्तीय वर्ष 2023-24 या 2022-23 वित्तीय वर्ष 2024-25 या 2023-24	
10.	राजस्थान के कितने जिलों में स्वयं के कार्यालय हैं (सूची संलग्न करें)	
11.	सम्भाग के कितने जिलों में स्वयं के कार्यालय हैं (सूची संलग्न करें)	Signature valid Digitally signed by Raj Sood Designation: Executive Director Finance Date: 2025.08.21 13:57:22 IST Reason: Approved

12.	राजस्थान में ऐसे कितने जिला मुख्यालय हैं जहाँ कम्पनी/फर्म के स्वयं के कार्यालय नहीं हैं किन्तु अधिकृत एजेन्सी/फर्मों के माध्यम से परिवहन कार्य करवाया जाएगा (सूची संलग्न करें)	
13.	सम्भाग में ऐसे कितने जिला मुख्यालय हैं जहाँ कम्पनी/फर्म के स्वयं के कार्यालय नहीं हैं किन्तु अधिकृत एजेन्सी/फर्मों के माध्यम से परिवहन कार्य करवाया जाएगा (सूची संलग्न करें)	
14.	निविदादाता कम्पनी/फर्म या उसके किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/नहीं है।	
15.	वाहनों का विवरण	
(i)	स्वयं के (संख्या)	
(ii)	अनुबन्धित (संख्या)	
16.	अन्य कोई सूचना	

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर
दिनांक व पूर्ण पता मुहर सहित

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17299387

UNDERTAKING

This is to certify that Bill no..... (For Month) All consignments / packets have been delivered on time as was decided during the contract finalization, we request you to accept this letter as our confirmation and undertaking of delivery.

We are assuring you in case any consignments, packet arising loss and damage during transit, we will be completely responsible. RMSCL shall be entitled to deduct the charges of such losses from our payables.

Kindly release the payment.

Thanks & regards

signature of authorized person
with seal

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17299387

S. NO.	DISTRICT	ADDRESS OF DISTRICT DRUG WAREHOUSE	NAME OF (OFFICER-IN-CHARGE)	OFFICE CONTACT NO.	MOBILE NO.	EMAIL
1	Ajmer	Near Janana Hospital, Railway crossing, Pushkar bypass road, Ajmer	Dr. Mohit Deval	0145-2970119	9983766448	DPCDDW.AJMER@RAJASTHAN.GOV.IN
2	Alwar	Old T.B. Hospital, Mugska, Old Delhi road, Alwar 301001	Dr. Chhabil Kumar	0144-2908814	6376233484	dpcalwar@gmail.com
3	Banswara	C/O M G Hospital Banswara 327001	Dr. Praveen Gupta (Add.Charge)	02962-294490	9929103434	DDW.BANSWARA@RAJASTHAN.GOV.IN
4	Baran	District Hospital Campus, Baran	Dr. Pradeep Singh (Add.Charge)	07453-294216	7300149942	dpcbaran2@gmail.com
5	Barmer	Near Swasthya Bhawan, Rai colony road BARMER 344001	Dr. Javed	02982-230771	7292042466	DPC.DDW.BARMER@RAJASTHAN.GOV.IN
6	Bharatpur	Behind R. B. M. Hospital, Bharatpur 321001	Dr. Aviral kumar Singh	05644-220869	7073999449	dpcbharatpur1@gmail.com
7	Bhilwara	M.G. Hospital Campus, Bhilwara-311001	Dr. Ashok Khatwani	01482-237609	9414115995	DPCDDW.BHILWARA@RAJASTHAN.GOV.IN
8	Bikaner	P.B.M Hospital Campus, Behind rajkiya haldiram mulchand heart hospital Opposite medical college road, Bikaner-334001	Dr. N.K. Gupta	0151-2970313	9667411222	dpcbikaner1@gmail.com, ddw-bik-rj@gov.in
9	Bundi	C/O Chief Medical & Health office Campus Bundi	Dr. Satish Saxena	0747-2940233	9982147567	dpcbundi@rajasthan.gov.in
10	Chittorgarh	Behind FCI seeds Godown, Panchwati, Senth, Chittorgarh-312001	Dr. Devi Lal Dhakad	01472-294054	9001990209	DPCDDW.CHITTOR@RAJASTHAN.GOV.IN
11	Churu	District Drug Warehouse Behind collectorate, Opposite Nursing Training Centre, shekhawat colony churu PIN CODE 331001	Dr. Rasid	01562-294792	9636089689	dpcddw.churu@rajasthan.in
12	Dausa	Swasthya Bhawan, near collectory chauraha, Dausa-303303	Dr. Sandeep Sarda	01427-294173	7891510009	dpcddw.dausa@rajasthan.gov.in dpcdausa@gmail.com
13	Dholpur	Old CM&HO Office Opposite Kotwali, Dholpur-328001	Dr. Shiv Kumar Sharma (Add.Charge)	05642-221622	8302670387	dpcdholpur12@gmail.com DPCDDW.DHOLPUR@RAJASTHAN.GOV.IN
14	Dungarpur	DISTRICT DRUG WAREHOUSE IN FRONT OF CMHO OFFICE OLD HOSPITAL CAMPUS DUNGARPUR	Dr Vipin Kumar Meena (Add.Charge)	02962-23021	9949960808	Digitally Signed by Raj Sood Designation: Executive Director Finance Date: 2025.08.21 13:57:22 IST Reason: Approved

15	Ganganagar	NH-15, Near Civil Hospital, Suratgarh road, Sri Ganganagar-335001	Dr. Ajay Kumar Singla	0154-2463338	9414873243	dpcganganagar2@gmail.com
16	Hanumangarh	Near Zila Parisad Civil Lines, Hanumangarh Junction, Hanumangarh - 335512	Dr. Ravi Khichar	01552-261176	8955550444	DPCDDW.HANUMANGARH@RAJASTHAN.GOV.IN, dpchanumangarh@yahoo.co.in
17	Jaipur I	CM&HO Office, Sethi colony, jaipur	Dr. Sumir Gheyi	0141-2603468	<u>9950195088</u>	oiicddwjpr@gmail.com
18	Jaipur II	CM&HO Office, Sethi colony, jaipur	Dr. Gajendra Raj Soyal (Add. Charge)	0141-2605954	9269939765	oiicdpc2jaipur@gmail.com
19	Jaisalmer	CM&HO office Swasthya Bhawan, Dadansar road, Jaisalmer-345001	-	02992-294118	=	DPCDDW.JAISALMER@RAJASTHAN.GOV.IN
20	Jalore	CM&HO office, Swasthya Bhawan Bagra road, Infront of Mamaji ke than, jalore	Dr. Bhajanaram (Add. Charge)	02973-225864	<u>9772590300</u>	dpcjalore1@gmail.com
21	Jhalawar	ANM Training Center, Swasthya Bhawan Campus, Motor Garage road, Jhalawar-326001	Dr. Mukesh Bansal (Add. Charge)	07432-232160	<u>9462994091</u>	dpcddw.jhalawar@rajasthan.gov.in
22	Jhunjhunu	BDK Hospital Campus, Road no. 2, Near Ashoka Hotel, Jhunjhunu-333001	Dr. Jitendra Singh	01592-232674	9928324700	DPCDDW.JHUNJHUNU@RAJASTHAN.GOV.IN
23	Jodhpur	Old CMHO Office, Near Jhalamand Circle, Old Pali Road, Jodhpur Rajasthan 342013	Dr. Rakesh Kumar Passi	0291-2721196	9982941444	DPCDDW.JODHPUR@RAJASTHAN.GOV.IN
24	Karauli	Near New Jail, Mandrayal Road, Karauli-322241	Dr. pooranmal verma	07464-297034	9413815092	dpckarauli1@gmail.com
25	Kota	Anantpura, Pathar Mandi, Kota	Dr. Sushil Soni (Add. Charge)	0744-2940777	9414237805	DPCDDW.KOTA@RAJASTHAN.GOV.IN;
26	Nagaur	Swasthya Bhawan, Hawai patti, Nagaur-341001	Dr. Rajesh Parashar	01582-245564	9214872610	dpcnagaur@gmail.com
27	Pali	Swasthya Bhawan, Near RTO Office, Jodhpur road, Pali	Dr. Jitendra Jetawat	-	9413872504	dpcddwpali@gmail.com
28	Pratapgarh	District Hospital Campus, Banswara Road, Pratapgarh - 312605	Dr. V.D Meena (Add. Charge)	01478-225202	9414397186	DPCDDW.PRATAPGARH@RAJASTHAN.GOV.IN
29	Rajsamand	New Collectory road, Near Tehsil Office, Rajsamand-313326	Dr. Anil Jain	02952-224050	<u>9680067407</u>	DPCDDW.RAJSAMAND@RAJASTHAN.GOV.IN
30	S. Madhopur	CM&HO office, Near General Hospital, sawai Madhopur	Dr. Anil kumar jaimini	07462-233198	9461179623	DPCDDW.SWM@RAJASTHAN.GOV.IN
31	Sikar	Jhunjhunu bye pass road, Near Shyosinghpura housingboard, Sikar-332001	Dr. C P Ola	01572-248089	956170000	dpcthar2@gmail.com
32	Sirohi	Swasthya Bhawan, CM&HO office, Sirohi-307001	Dr. Bhupendra Pratap Singh	02972-294168	956170000	DPCTHAR2@RAJASTHAN.GOV.IN

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation : Executive Director
Finance

Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17299387

			(Additional Charge)			
33	Tonk	District Drug Ware House Tonk , CM&HO Campus , Subhash bazar, Tonk-304001	Dr.Ashok kumar yadav	01432-294565	<u>9079378969</u>	DPCDDW.TONK@RAJASTHAN.GOV.IN
34	Udaipur	Near T.B. sanitorium, Post office Badi, Udaipur	Dr.Mohan Singh Dhaked	-	8764145830	dpccdw.udaipur@rajasthan.gov.in
35	MCDW Ajmer	Near Bajranggarh Circle,Behind JLN Hospital, Opp.Sharda Diagnostics Centre,Mortuary Road, JLN Hospital CampusAJMER	Dr. Mohit Deval	0145-2970164	<u>9983766448</u>	OICMCDW.AJM@RAJASTHAN.GOV.IN
36	MCDW Bikaner	Behind Geriatric Hospital, PBM Hospital Campus, Ambedkar Circle, Bikaner	Dr. Rakesh Gadhwal	01512970107	9828812221	OICMCDW.BKN@RAJASTHAN.GOV.IN
37	MCDW Jodhpur	Medical College DrugWare House, Opp. Central Lab Mathura Das Mathur Hospital Campus, , Shastri Nagar, Jodhpur	Dr. Rakesh Pasi	0291-2940860	9982941444	<u>OICMCDW.JODHPUR@RAJASTHAN.GOV.IN</u>
38	MCDW Udaipur	Near Sahariya Dharamshala, Maharana Bhopal Hospital Campus, Chetak Circle, Udaipur	Dr. Deepak Sethi	0294-2428568	9414248134	<u>mcdw.udaipur@rajasthan.gov.in</u>
39	MCDW Kota	Behind cottage quarters, MBS Hospital Campus, Nayapura, Kota	Dr. Sushil soni (add.charge)	0744-2321362	<u>9414237805</u>	OICMCDW.KOTA@RAJASTHAN.GOV.IN
40	MCDW Jaipur	Medical college drug warehouse, adinath nath marg c- scheme, jaipur near trauma center SMS Medical College	Dr V.P. Meena	0141-2361576	<u>9414316903</u>	<u>mcdwjaipur@gmail.com</u>

Signature valid

Digitally signed by Raj Sood
Designation: Executive Director
Finance
Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
17299387

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal Noof

Before the(First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

.....

(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....

Place

Date

Appellant's Signature

Signature valid

Digitally signed by Ravi Sood
 Designation: Executive Director
 Finance
 Date: 2025.08.21 13:57:22 IST
 Reason: Approved